न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 139/2017 (225 आरटीए) श्रीमती कमलादेवी बनाम पन्नाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00227)

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मिसाराम जाति सरगरा निवासी बुचकला तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 पन्नाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति सरगरा, निवासी बुचकला, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। (वादी प्रार्थी)
प्रफोर्मा रेस्पोडेंट
2 रामसुख पुत्र श्री छगनाराम,
3 लिछमणराम पुत्र श्री छगनाराम,
4 चैनाराम पुत्र श्री छगनाराम,
5 भगाराम पुत्र श्री छगनाराम,
6 चम्पालाल पुत्र श्री घीसाराम,
7 श्रीकिशन पुत्र श्री घीसाराम,
8 गोकलराम पुत्र श्री घीसाराम,
9 भूरी पुत्री श्री घीसाराम,
10 घमुड़ी पत्नी श्री घीसाराम,
11 रामेश्वरी पुत्री श्री जेठाराम,
12 परमादेवी पुत्री श्री जेठाराम,
13 हेमाराम पुत्र श्री पुखाराम जातियान सरगरा निवासीगण बुचकला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
14 प्रबंधक पंजाब नेशनल शाखा पीपाड़ शहर जिला जोधपरु।
15 भूमिधारी जरिए तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 19.05.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 183/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अणदाराम बैनीवाल।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
3 रेस्पो. सं. 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 2 से 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय

दिनांक : 23.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 183/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष रेस्पो. सं. 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 के तहत पेश किया जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 183/2014 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बुचकला की राजस्व सीमा में रेस्पो.सं. 1/प्राथी व अपीलांट व रेस्पो. सं. 2 से 13 की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि खसरा नं. 519 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं.521 रकब 25 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 525 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 533 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 534 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 573 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 578 रकबा 12 बीघा कुल खसरा 7 कुल रकबा 138 बीघा 14 बिस्वा भूमि आई हुई है। इस भूमि में अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 का भी 1/5 हिस्सा है जो रेस्पो सं. 1/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है। रेस्पो. सं. 1 ने सिजरा खानदान में मिसाराम के फोत होने पर पन्नाराम को गोदपुत्र दिखाया गया है वह गलत है। पत्रावली दिनांक 19.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वारा 2017 अटल सेवा केन्द्र बुचकला में ले जाकर अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 का जबाब बंद कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर आलोच्य आदेश पारित कर दिया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अणदाराम बैनीवाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सारवान तथ्यों को छुपाकर बदनीयती पूर्वक एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। न्याय आपके द्वार 2017 में केवल वो ही फैसले किए जाने थे जिसमें दोनों

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकार सहमत हों, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार के उद्देश्य से परे जाकर रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में एवं अपीलांट के विरुद्ध आदेश पारित किया जो काबिल खारिज है। रेस्पों. सं. 1 ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 जो विधवा वृद्ध महिला है उसको तंग एवं परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है क्योंकि प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1 पिता घीसाराम के फोत होने पर उनके वारिसान के स्थान पर भी अपना राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया एवं अब अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 को तंग एवं परेशान करने की नियत से एवं मूल राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर उसके साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथाकथित आदेश पारित कर दिया है जो मनमर्जी से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब का उचित अवसर दिए बिना ही उसका जवाब बंद कर दिया है एवं प्रार्थना पत्र निस्तारण कर आलोच्य आदेश पारित कर दिया है। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में जिस भूमि पर स्थगन आदेश की प्रार्थना की है उसके अलावा भूमि पर भी स्थगन आदेश पारित कर दिया है जो कदापित न्यायोचित नहीं हैं। अपीलांट ने गोदनामें को निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय में दावा पेश कर दिया है। तथा रेस्पो सं. 1 के अन्य दस्तावेजों में अपने प्राकृतिक पिता का नाम अंकित चला आ रहा है एवं प्राकृतिक पिता के हिस्से की भूमि भी उसके नाम दर्ज है। गोदनामा की आवश्यक शर्त यह है कि जिसको गोद लिया जा रहा है व जिसके द्वारा गोद लिया जा रहा है उसकी उम्र में 21 साल का अंतर होना चाहिए अर्थात गोदपुत्र 21 साल छोटा होना चाहिए, इस गोदनामें में इस शर्त का उल्लंघन किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में करवाया गया है जिसकी अपीलांट/प्रार्थिया को कोई जानकारी नहीं थी। लोक अदालत संबंधी कोई नोटिस भी नहीं दिया। प्रार्थिया एक अनपढ़ महिला है। प्रार्थिया के साथ कोई नहीं रहता है तथा प्रार्थिया सिर्फ अकेली रहती है इस कारण प्रार्थिया न तो वकील साहब से संपर्क कर सकी और न ही वकील साहब ने कोई प्रार्थिया को कोई सूचना दी। पन्नाराम ने प्रार्थिया को आकर बोला कि खेत मेरा है अब तू इस खेत में कुछ नहीं मांगेगी तब प्रार्थिया ने अपने वकील साहब से बोला तब वकील साहब ने बोला कि जोधपुर जाकर अपील करनी पड़ेगी आपकी जमीन पर स्टे पारित कर दिया है। तब मैंने जोधपुर वकील से संपर्क किया और उक्त अपील श्रीमान के समक्ष देरी से प्रस्तुत करने का माकूल कारण है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए अपील को मैरिट पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने बहस में कथन

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया कि रेस्पों. सं. 1 को मिसाराम ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था तत्पश्चात प्रार्थी की गोदी माता कमलादेवी ने पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 05.05.1997 को रेस्पों. के पक्ष में निष्पादित किया गोदनामा की प्रति भी संलग्न की गई। वादग्रस्त भूमि सहदायगी कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त कर रहे हैं। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 से 5 को 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 से 10 का 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 11 व 12 का 1/5 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 13 का 1/5 हिस्सा कानूनन निहित है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के 1/5 हिस्से में से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा कानूनन निहित है इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं. 2 से 5 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 6 से 13 का 3/4 हिस्सा गलत इन्द्राज कर रखा है। जिसको दुरस्त किया जाकर दावे में खातेदार काश्तकार घोषणा का अनुतोष मांगा है। प्रार्थी मजदूरी हेतु जोधपुर निवास करता है व प्रार्थी की माता बुचकला में निवास कर रही है जिसको बहला फुसला कर अप्रार्थी सं. 2 से 5 वादग्रस्त आराजी में से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का 1/5 हिस्सा की संपूर्ण भूमि की बेचान रजिस्ट्री अपने पक्ष में करवाने की फिराक में है। अगर अप्राथी सं. 1 प्रार्थी को गोद नहीं रखना चाहती है तो पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 05.05.1997 को सक्षम न्यायालय में निरस्त करवा सकती है गोदनामा के प्रभाव में रहते प्रार्थी अपने गोदी पिता के हिस्से में आने वाली भूमि से महरूम हो जाएगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने से अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार पारित किया है। जहां तक अपीलांट का मौखिक तर्क है कि गोदनामा में गोदपुत्र 21 साल छोटा नहीं है जिससे गोदनामा विधि अनुसार नहीं बता रहे हैं, जबकि गोदी पिता ने उसे अपने जीवन काल में ही गोद ले लिया था तथा गोदी माता ने दिनांक 05.05.1997 को गोदनामा पंजीकृत करवा दिया। किसी पंजीकृत गोदनामे को सिविल न्यायालय से खारिज कराने से पूर्व ही उसे निरस्त या शून्य नहीं माना जा सकता। प्राकृतिक पिता की संपत्ति गोदनामे के पंजीकृत होने से पहले प्राकृतिक पिता की मृत्यु होने से उसके नाम आ गई है तथा उस संपत्ति को रेस्पो. सं. 1 हकतर्क करने के लिए सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश विधि अनुसार पारित किया है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 1 के के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 का है जबकि अपील दिनांक 23.11.2017 को पेश की गई है। अपीलांट ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में अपील देरी से पेश करने का कोई औचित्य पूर्ण कारण नहीं

23/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बताया है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

6 रेस्पो. सं. 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी कब हुई व तथा जानकारी होने की दिनांक के बाद अपील पेश करने तक कितनी देरी हुई। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का कथन है कि अपील मियाद बाहर है एवं धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं हैं। इस न्यायालय की राय में धारा–5 मियाद अधिनियम के ऐसे प्रार्थना पत्र को जिसमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी कब व कैसे हुई का स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं तो उसे स्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन विश्वनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अतः धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं तदनुसार अपील मियाद बाहर पाई जाती है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

9 चूंकि अपील मियाद बाहर है अतः अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने की इस प्रकरण में आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

10 अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 यथावत रखा जाता है।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर